

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम 85-IV/2019/

दिनांक.

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)एफ.डी./नियम/2008 दिनांक 12.9.2008, एफ.14(88)वित्त(नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं संशोधित आदेश क्रमांक प.14 (8) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 5.7.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कार्मिक का निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है -

क. सं.	नाम कर्मचारी, पद एवं पदस्थापन स्थान	प्र.नि. दिनांक	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत एसीपी पे मैट्रिक्स
1.	श्री भूपेन्द्र कुमार गुप्ता रेडियोग्राफर सीएचसी सागानेर, जयपुर।	23.2.99	18 वर्ष	23.2.2018	L-11

जिला कलक्टर जालोर के आदेश क्रमांक/चि.एवं स्वा.एम.एन.जेवाई/2014/1883 दिनांक 19.5.2014 के द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार गुप्ता, रेडियोग्राफर द्वारा राजकीय कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर लापरवाही बरतने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का दोषी पाये जाने पर इनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किये जाने के परिणामस्वरूप 18 वर्षीय देय एसीपी एक वर्ष बाद दिनांक 23.2.2018 से निर्धारित की गई है।

यदि कार्मिक के दिनांक 1.6.2002 के पश्चात तीसरी संतान हुई है तो यह आदेश लागू नहीं होगा। कार्मिक का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

॥

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम 85-IV/2019/47

दिनांक: 22/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है .

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सागानेर, जयपुर।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते अपलोड।
5. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर